AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher,Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr.Ramphool Puniya
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Estt./ARSS/K/2026/240 Dated: 17.08.2026

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की खुली निविदा सूचना No.F.(OT)/Estt./ARSS/K/2026/208-214 Dated:- 05.08.2026 के तहत समिति की अनुशंषा व प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त रबी सीजन 2026–27 की फसलों के लिये हिस्सा आधारित खेती हेतु निम्न पार्टीयों को उनकी प्रस्तावित प्रतिशत दर व नेगोशियेशन उपरान्त निम्न दरों पर आदेश जारी किया जाता है।

क.सं	फसल	दाना उपज प्रतिशत
1. श्रीमति लज्जा पत्नी श्री जवाहर सिंह, भरतपुर		
1	जौ	32
2	मसूर	32
2. श्री करन सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, नगला मैंथना–कुम्हेर		
1	सरसों	14.90
2	गेंहूँ	19.90
3	चना	31
4	सौंफ	36

समस्त निविदा शर्तेः–

1. बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी, साथ ही सभी कृषि यंत्र मय ट्रेक्टर डीजल केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा व प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।
2. निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप, डीजल इंजन, वाटर पंप, वॉल, रिंच पाना किट, फव्वारे बेड, टी, डाट व अन्य सिंचाई सम्बन्धी सामान आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
3. बीज उत्पादन के लिए बुवाई से लेकर, थेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने तक सभी कार्यो में लगने वाले श्रमिकों की आपूर्ति हिस्साधारक को करने होंगे, जिसमें पलेवा व बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई–गुडाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी, फफूंदीनाशी व उर्वरकों का छिडाकव करना, फसल की कटाई करना, कटी फसल को इकत्रित करना व थेसिंग कर दाने को साफ कर स्टोर में धांग लगाने का कार्य हिस्साधारक को करना होगा। रबी दोनों फसलों में खरपतवारों की स्थिति को देखते हुए एक बार से अधिक निराई करानी होगी।
4. आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
5. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशाले पदार्थो का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
6. फार्म फील्ड पर यदि रबी सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी। साथ ही प्रयोगों में होने वानी सिंचाई भी करनी होगी।
7. हिस्साधारक को 1000/– रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बकाया अमानत राशि जमा करानी होगी।
8. फार्म पर 36 हैक्टेयर कृषि भूमि है, फसल के हिसाब से क्षेत्रफल घटाना व बढाना या किसी फसल को नही लेना का अधिकार केन्द्र के पास रहेगा, जिसमें ठेकेदार को कोई हस्तक्षेप मान्य नही होगा।
9. यह ठेका रबी वर्ष 2026–27 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने के फसल फार्म फील्ड में से उठने तक के लिए मान्य होगा। फसल फील्ड में से उठाने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
10. उत्पादित बीज का वजन तौलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत वजन काटा जावेगा।
11. जुताई हेतु ड्राइवर व ट्रैक्टर सभी यन्त्र, डीजल आदि व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी। सिंचाई हेतु इंजन, पाईप डीजल इत्यादि केन्द्र उपलब्ध करायेगा।
12. बीजोत्पादन में बीज का हिस्सा न देकर हिस्से की राशि, बीज जमा कराने की तिथि से 7 दिन पहले व 7 दिन बाद तक के नजदीकी मंडी के औसत भाव के अनुसार अदा किया जावेगा।

13. फसल में रोगिंग / अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी / फार्म प्रबन्धक की देखरेख में अलग–अलग समय पर करना होगा।
14. बोरिंग, पम्प, ईंजन, पंखा इत्यादि का ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
15. श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। केन्द्र द्वारा श्रमिकों को लाने ले जाने हेतु ट्रेक्टर ट्रौली केन्द्र द्वारा देय नही होंगे।
16. फसल की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा। साथ ही सिंचाई सम्बन्धी सामान व पशुओं से फसल बचाव की निगरानी की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
17. निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी / प्रबन्धक की मॉग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या जिसका भुगतान ठेकेदार के अन्तिम भुगतान में से काट लिया जावेगा। गेंहूँ फसल में हिस्साधारक को तीन से चार सिंचाई आवश्यक रुप से करनी होंगी।
18. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. थ्रेसिंग का कार्य सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।
20. गेंहूँ फसल की कटाई श्रमिकों द्वारा हाथ से करानी होगी, कटाई के समय कटी फसलों में मिट्टी नही आनी चाहिए। साथ ही मौसम की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए कटाई का कार्य कम्बाइन से कराने या न कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा। कम्बाइन द्वारा गेंहूँ की कटाई के बाद भूसा बनाने की जिम्मेदारी स्वयं सफल निविदादाता की होगी, इसमें केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
21. कटी हुयी फसलों पर यदि बरसात होती है तो फसलों के पूलों को श्रमिक लगाकर ठेकेदार को बदलवाना होगा।
22. रबी में अतिवृष्टि या अनावृष्टि होने के कारण यदि फसलों में नुकसान होता है तो केन्द्र द्वारा किसी तरह का कोई हर्जाना नही दिया जावेगा।
23. सफल निविदादाता को 500 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
24. समस्त कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी अधिकारी को कार्य से संतुष्ट होने पर ही हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा। फसल वृद्धि के दौरान बीच में कोई अग्रिम राशि नही दी जावेगी। ठेकेदार अपने श्रमिकों का भुगतान बीच–बीच में स्वयं को करना होगा।
25. अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
26. फार्म पर बोयी गयी सभी फसलों से प्राप्त भूसा / चारा / खारी / तूडी उत्पाद 100 प्रतिशत सफल निविदादाता की होगी।
27. किसी प्रकार के प्राकृतिक व अन्य कारण से नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः .

1. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
3. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां–अलवर
4. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
5. कमेटी कन्वीनर / सदस्य / लेखाशाखा / .....
6. श्रीमति लज्जा पत्नी श्री जवाहर सिंह, भरतपुर
7. श्री करन सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, नगला मैंथना–कुम्हेर
8. रक्षित फाइल ।

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर